(3)

आदेश

श्री गजेन्द्र बहादुर शाही पुत्र स्व0 श्री शेर बहादुर शाही, निवासी ग्राम धनौड़ा, पट्टी धनौड़ा, पो0 सिल्थाम, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़ द्वारा राज्य आन्दोलनकारी में परिचय पत्र में नाम संशोधित किये जाने विषयक प्रार्थना पत्र दिनांक 03.08.2016 प्रस्तुत किया गया। जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत चिन्हित राज्य आन्दोलनकारी की सूची के क्रमांक 221 में श्री गजेन्द्र साही पुत्र श्री शेर बहादुर साही, एडवोकेट को राज्य आन्दोलनकारी चिन्हित किया गया है, जिन्हें पूर्व में परिचय पत्र संख्या 176 निर्गत किया गया है। इस प्रकार आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं चिन्हित राज्य आन्दोलनकारी सूची के अंकित नाम में दृष्टिगोचर भिन्नता के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा जांच कराने उपरान्त आख्या उपलब्ध करायी गयी है। प्राप्त आख्या में उपजिलाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा राजस्व उप निरीक्षक, धनौड़ा की आख्या दिनांक 04.08.2016 एवं तहसीलदार, पिथौरागढ़ की दिनांक रहित संस्तुति आख्या के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी परिचय पत्र में आवेदक का नाम श्री गजेन्द्र बहादुर शाही पुत्र श्री शेर बहादुर शाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपजिलाधिकारी, पिथौरागढ़ की उक्त संस्तुति आख्या से सहमत होते हुए, जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत चिन्हित उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी सूची के क्रमांक 221 में अंकित राज्य आन्दोलनकारी श्री गजेन्द्र साही पुत्र श्री शेर बहादुर साही, एडवोकेट, निवासी धनौड़ा सिल्थाम, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़ के स्थान पर **श्री गजेन्द्र बहादुर शाही पुत्र श्री शेर बहादुर शाही, एडवोकेट, निवासी ग्राम धनौड़ा, पो0 सिल्थाम, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़** के नाम से संशोधित किया जाता है। जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत चिन्हित उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी सूची/अभिलेखों को तद्सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(एच0 सी0 सेमवाल)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

संख्या : 2127/बीस– 58 /2015–16 दिनांक अगस्त 29 , 2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. पुलिस अधीक्षक, पिथौरागढ़।
2. उपजिलाधिकारी, पिथौरागढ़।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को जनपद पिथौरागढ़ की वेबसाइट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. तहसीलदार, पिथौरागढ़।
5. श्री गजेन्द्र बहादुर शाही पुत्र श्री शेर बहादुर शाही, एडवोकेट, निवासी ग्राम धनौड़ा, पो0 सिल्थाम, तहसील एवं जिला पिथौरागढ़।
6. कार्यालय प्रति।

(एच0 सी0 सेमवाल)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।